न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास – डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–142 / 2020

जी.सी..एम.एस. पोर्टल संख्या–2020 / 00182

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
संग्रामसिंह पुत्र सम्मानसिंह जाति राजपूत निवासी बरवाला तहसील मकराना जिला नागौर (राज0)		राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी नागौर

उपस्थिति–

1. अपीलान्ट की ओर से वकील **श्री महेन्द्र कुमार शर्मा**।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) **श्री रामजीवन बेनीवाल**।

आदेश **दिनांक–** 01/04/2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील अन्तर्गत राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के नियम 22 के तहत जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 165 / 2014 राज0 सरकार बनाम संग्रामसिंह में निर्णय दिनांक 04.12.2014 के विरूद्ध यह अपील पेश की है। अपील के मयाद प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश किया। अपील ताबे उज्र मियाद दर्ज रजिस्टर की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।
2. मयाद के बिन्दु पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने मयाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि अपीलार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। अपीलार्थी को कानूनी / विधिक एवं उक्त निर्णय की जानकारी नहीं होने के कारण उक्त निर्णय को चुनोती नहीं दी व वर्तमान में पुनः प्राधिकार पत्र बहाल करने हेतु जिला रसद कार्यालय में सम्पर्क किया तो पूर्व में प्राधिकार पत्र निरस्त होने का कहकर नया प्राधिकार पत्र जारी करने से इंकार करते हुए पूर्व के निर्णय के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील पेश करने का कहा तब अपीलार्थी ने इस संबंध में कानूनी राय हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब उन्होने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की राय देने पर अपील पेश की गई है। अपीलार्थी ने कोविड 19 के लोक डाउन से पूर्व जिला कलक्टर [illegible] व रसद विभाग के यहां आवेदन पेश किया। रसद विभाग द्वारा लाइसेन्स जारी करने से इंकार करने पर इस संबंध में विधिक राय लेने पर अपील की जानकारी होने पर अपील पेश की गई है, उक्तानुसार अन्दर मयाद पेश की गई है, जिसे अन्दर मयाद सुनाया किया जाना उचित एवं न्याय संगत होने का कथन करते हुए आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

3. रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 165/2014 में दिनांक 04.12.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 5 वर्ष 9 माह पश्चात अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं थी, तो अपीलान्ट को यह बताना आवश्यक है कि उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी कब हुई, परन्तु अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी बाबत कोई दिनांक अंकित नहीं की है, इसलिए यह ही माना जायेगा की निर्णय जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को निर्णय की दिनांक से ही थी। निर्णय जैर अपील की पालना में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पृथक से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश कमांक–रसद/अभि./2014/4184 दिनांक 04.12.2014 जारी कर आदेश की प्रति पृष्ठांकन पत्रांक–सम/4185–4195 दिनांक 04.12.2014 से अपीलान्ट को प्रेषित की गई है। इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी शुरू से ही रही है। इसके अलावा यह मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट को निर्णय के वक्त निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं रही थी, तो भी अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ निर्णय जैर अपील दिनांक 04.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, उक्त प्रमाणित प्रति पर जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 18.7.19 को हस्ताक्षर किये गये है। उक्त प्रमाणित प्रति से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी दिनांक 18.07.2019 को हो गई थी, फिर भी अपीलान्ट द्वारा निर्णय जैर अपील की जानकारी की दिनांक 18.07.2019 से 1 वर्ष 2 माह पश्चात अपील पेश की है, और इतने अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया है। इसके अलावा निर्णय जैर अपील की पालना में अपीलान्ट का यह कथन कि कानूनी जानकारी नहीं होने से निर्णय जैर अपील को उसके द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकी, अपीलान्ट का उक्त कथन कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह कह कर कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में कोई कानून के विरूद्ध लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र व अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

4. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट के विरूद्ध विभागीय प्रकरण संख्या 165/2014 में दिनांक 04.12.2014 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अवधि 30 दिवस है। अपीलान्ट द्वारा अपील करीब 5 वर्ष 9 माह पश्चात अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत की है। अपीलान्ट का यह कथन कि उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं थी, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा यह प्रकट करना आवश्यक है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी कब हुई।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)
Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:35:23 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

अपीलान्ट द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र में उसे निर्णय जैर अपील की जानकारी बाबत कोई दिनांक अंकित नहीं की है, इसलिए यह अवधारणा प्रबल है कि निर्णय जैर अपील की जानकारी अपीलान्ट को निर्णय की दिनांक से ही थी। निर्णय जैर अपील की पालना में जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा पृथक से अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने का आदेश क्रमांक–रसद/अभि./2014/4184 दिनांक 04.12.2014 जारी कर आदेश की प्रति पृष्ठांकन पत्रांक–सम/4185–4195 दिनांक 04.12.2014 से अपीलान्ट को प्रेषित की गई है, इससे भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी शुरू से ही रही है। इसके अलावा यह मान भी लिया जावे कि अपीलान्ट को निर्णय के वक्त निर्णय जैर अपील की जानकारी नहीं रही थी, तो भी अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ निर्णय जैर अपील दिनांक 04.12.2014 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, उक्त फोटो प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा दिनांक 18.7.19 को प्रमाणित करने बाबत हस्ताक्षर किये गये है। उक्त प्रमाणित प्रति से भी स्पष्ट है कि अपीलान्ट को निर्णय जैर अपील की जानकारी दिनांक 18.07.2019 को तो जाना पूर्णतया प्रमाणित है। परन्तु फिर भी अपीलान्ट द्वारा निर्णय जैर अपील की जानकारी की दिनांक 18.07.2019 से भी 1 वर्ष 2 माह पश्चात अपील पेश की है, और इतने अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने का अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस कारण नहीं बताया है। अपीलान्ट का यह कथन कि कानूनी जानकारी नहीं होने से निर्णय जैर अपील को उसके द्वारा चुनोती नहीं दी जा सकी, अपीलान्ट का उक्त कथन कतई स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यह कह कर कि उसे कानून की जानकारी नहीं थी, किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही में कोई कानून के विरूद्ध लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की मयाद 30 दिवस है, परन्तु अपीलान्ट द्वारा अत्यधिक विलम्ब से, विलम्ब के संबंध में कोई ठोस कारण बताये बीना अपील मय मयाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो किसी उपर्युक्तानुसार तथ्यों के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अधीन धारा 5 मियाद अधिनियम सारहीन होने खारिज की जाती है एवं तदनुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुऐ आदेश/निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

6. आदेश सुनाया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:35:23 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर